9–237/
–12

न्यायालय, जिला दण्डाधिकारी, पटना
(जिला शस्त्र शाखा)
–: आदेश :–

14-05-2013

विविध शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या–9–237/2012 में आवेदक **श्री दिलीप कुमार**, पिता–श्री बसन्त सिंह, सा0–कुरथौल, राजेन्द्र आवासीय स्कूल के नजदीक, पो0–कुरथौल, थाना–परसा बाजार, जिला–पटना से प्राप्त एक एन0पी0बोर रायफल शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र पर वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त कर सुनवाई की गयी।

पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक–14.05.2013 को सुनवाई की गयी। सुनवाई के क्रम में आवेदक द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि वे Class–1 Contractor हैं और नेहरू नगर में Construction का कार्य करते हैं। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि नक्सलियों द्वारा रौशनगंज बांके बाजार में इनके जे0सी0बी0 मशीन को जलाकर हमला कर दिया गया था। इस संबंध में थाना कांड सं0–31/11 दर्ज किया गया। उनके द्वारा अपने जान–माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक–1245/गो0, दिनांक–17.10.2012 का अवलोकन किया गया। आवेदक के एक एन0पी0बोर रायफल शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, सदर, पटना के माध्यम से जाँचोपरान्त मूल में अग्रसारित किया गया है। अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, सदर, पटना द्वारा आवेदक की शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को थानाध्यक्ष, परसा बाजार के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में अनुशंसा के साथ मूल में संलग्न कर अवलोकनार्थ भेजी गयी है। थानाध्यक्ष, परसा बाजार द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि नक्सलियों द्वारा रौशनगंज बांके बाजार में इनके जे0सी0बी0 मशीन को जलाकर Site पर हमला कर दिया गया। इस संबंध में थाना कांड सं0–31/11 प्रति प्रेषित किया गया है। आवेदक के अनुज्ञप्ति आवेदन पर विचार कर जान–माल की सुरक्षा हेतु आवेदक को एक एन0पी0बोर रायफल हेतु अनुज्ञप्ति निर्गत करने की अनुशंसा की गई है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक द्वारा उपस्थित होकर बताये गये तथ्यों एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों का सूक्ष्मतापूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी को प्रतीत होता है कि आवेदक को अपने जान–माल की सुरक्षा के बिन्दु पर भय/खतरा है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 3, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक द्वारा उपस्थित होकर बताये गये तथ्यों एवं गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संकल्प सं0–V-11016/16/2009, शस्त्र दिनांक–31.03.2010 में निहित निर्देश के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त श्री दिलीप कुमार, पिता–श्री बसन्त सिंह, सा0–कुरथौल, राजेन्द्र आवासीय स्कूल के नजदीक, पो0–कुरथौल, थाना–परसा बाजार, जिला–पटना को उनके जान–माल की सुरक्षा हेतु सम्पूर्ण बिहार राज्य क्षेत्राधिकार के लिए मान्य एक एन0पी0बोर रायफल शस्त्र अनुज्ञप्ति हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है।

9-2337/2012

श्री कुमार को आदेश दिया जाता है कि वे विहित सरकारी शीर्ष में अपेक्षित अनुज्ञप्ति शुल्क कोषागार चालान के माध्यम से जमा कर चालान की मूल प्रति, पासपोर्ट साईज का दो अभिप्रमाणित फोटो एवं एक सादी अनुज्ञप्ति पुस्त अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत कर शस्त्र पंजी में प्रविष्टि कराने के उपरान्त उक्त अनुज्ञप्ति पुस्त प्राप्त कर लेंगें।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

14/5/13

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

14/5/13

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।